भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
आतारांकित प्रश्न सं. 1771
बुधवार, 7 अगस्त, 2024 (श्रावण 16, 1946, (शक)) को उत्तरार्थ

पैक्स को डेयरी और मत्स्य संबंधी कार्यों से जोड़ना

1771 # श्री शंभू शरण पटेल:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने डेयरी अथवा मत्स्य पालन संबंधी कार्यों के साथ पैक्स को जोड़ने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इससे पैक्स से जुड़े किसानों को किस प्रकार लाभ पंहुचेगा; और
(घ) सरकार की यह पहल किस प्रकार सहकारी आंदोलन को मजबूत करेगी?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): जी हां । प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के आर्थिक कार्यकलापों में विविधता लाकर उन्हें पंचायत/ग्राम स्तर पर जीवंत आर्थिक संस्थाओं में बदलने के लिए, सहकारिता मंत्रालय द्वारा आदर्श उपविधियां तैयार की गई हैं ।

आदर्श उपविधियां अपनाकर पैक्स डेयरी, मात्स्यिकी, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीजों की खरीद, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल डिस्ट्रिब्यूटरशिप, अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण, कस्टम हाइरिंग केंद्र, उचित मूल्य की दुकान (FPS), सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय अभिकर्ता कार्य, कॉमन सेवा केंद्र (CSC), आदि सहित 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप कर सकते हैं।

डेयरी और मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में पैक्स को शामिल करने से उनसे जुड़े किसान सदस्य विभिन्न तरीकों से लाभान्वित हो सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. इससे PACS की व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता आएगी।
ii. इससे पैक्स को आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होंगे जो अंततः उनके किसान सदस्यों को लाभान्वित करेंगे।
iii. यह किसान सदस्यों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के साथ बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करेगा।
iv. बाजार के विस्तार के माध्यम से पैक्स से जुड़े किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।

पैक्स के व्यावसायिक कार्यकलापों का विविधीकरण उनकी आर्थिक व्यवहार्यता में वृद्धि करके, सदस्यों की सहभागिता और सहकारी गतिविधियों में संलग्नता को बढ़ाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देगा, और इस प्रकार देश में एक अधिक एकीकृत और सुदृढ़ ग्रामीण सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करके सहकारी आंदोलन को भी सशक्त करेगा ।

*****